झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषय :– **खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में धान अधिप्राप्ति हेतु धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रूपये 81.00 (एकासी रूपये) प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल रूपये 48,60,00,000 (रूपये अड़तालीस करोड़ साठ लाख रूपये) राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

राज्य में धान अधिप्राप्ति योजना, खरीफ विपणन मौसम 2011–12 से संचालित है। धान अधिप्राप्ति योजना का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय के माध्यम से बाजार में धान के मूल्य को स्थिरता प्रदान करना है, जिससे किसानों के आय में बढ़ोतरी हो सके।

2. राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति करने हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची नोड्ल एजेन्सी है।

3. राज्य के किसानों को उनके उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा अधिप्राप्ति में उनकी पूर्ण सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए पूर्व के वर्षों में भारत सरकार के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निम्नवत दर पर किसानों को बोनस राशि दी गई है :–

क्र०	खरीफ विपणन मौसम	न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल (रूपये में)		बोनस प्रति क्विंटल (रूपये में)
		ग्रेड "ए"	साधारण	
1	2018-19	1770	1750	150
2	2019-20	1835	1815	185
3	2020-21	1888	1868	182
4	2021-22	1960	1940	110
5	2022-23	2060	2040	10
6	2023-24	2203	2183	117
7	2024-25	2320	2300	100

4. खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में धान अधिप्राप्ति के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–3(18)/2024-Py.I, दिनांक 06.06.2025 द्वारा संसूचित है कि कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्रांक–6-1/2025-MSP.ES, दिनांक 02.06.2025 द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण हेतु 2,369 रूपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड "ए" हेतु 2,389 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

5. खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में धान अधिप्राप्ति हेतु धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 81.00 रूपये (एकासी रूपये) की दर से बोनस भुगतान किया जाएगा। खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में धान अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य 06 लाख मे० टन के लिए बोनस भुगतान हेतु रूपये 48,60,00,000 (रूपये अड़तालीस करोड़ साठ लाख रूपये) राशि व्यय होना संभावित है।

6. अतः राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है:—

i. खरीफ विपणन मौसम 2025—26 में धान अधिप्राप्ति हेतु धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण हेतु 2,369 रूपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड "ए" हेतु 2,389 रूपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 81.00 रूपये (एकासी रूपये) की दर से बोनस भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा खरीफ विपणन मौसम 2025—26 में धान अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य 06 लाख मे० टन के लिए बोनस भुगतान हेतु संभावित व्यय रूपये 48,60,00,000 (रूपये अड़तालीस करोड़ साठ लाख रूपये) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

ii. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा राशि की निकासी कर झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को इस योजना के संचालन हेतु अलग से संधारित बैंक खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।

iii. किसानों को बोनस भुगतान का व्यय मुख्यशीर्ष—3456—सिविल पूर्ति—लघुशीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/102—सिविल पूर्ति योजना/789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— उपशीर्ष—69—धान अधिप्राप्ति योजना—06— अनुदान—52— सब्सिडी **(18-S345600-796/102/789-69010652)** से किया जायेगा।

iv. बोनस की राशि का लेखा जोखा/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि का संधारण नोडल एजेन्सी झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा।

7. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक—3208 दिनांक 04.12.2025 पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.12.2025 के बैठक की मद संख्या—24 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(**उमा शंकर सिंह**),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 05/अधि/बोनस/02/2025 /रांची, दिनांक

प्रतिलिपि— महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 05/अधि/बोनस/02/2025 /रांची, दिनांक

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

ह0/—
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 05 / अधि / बोनस / 02 / 2025 3265 / रांची, दिनांक 10/12/25

प्रतिलिपि—माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड / माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड के कोषांग / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड / सभी उप निदेशक (खाद्य) / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची / जमशेदपुर / धनबाद / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, झारखण्ड / सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची / राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, राँची / ई–उपार्जन PMU, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/25

सरकार के सचिव।